

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला दतिया (म.प्र.)

प्र.क्र./

/2017-18


दतिया,दिनांक 22.11.2017

// सूचना पत्र //

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह तोमर निवासी प्लॉट नंबर 10-जागेश्वरी रेजीडेंसी बीएसएफ कॉलोनी महाराजपुरा जिला ग्वालियर म.प्र. द्वारा ग्राम चक्काबू तहसील बडौनी जिला दतिया के सर्वे नं. 15 रकबा 2.00 है०, क्षेत्र पर 10 वर्ष की अवधि के लिये म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के तहत पत्थर उत्खनिपट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना चाहें, जैसे अपूर्ण दस्तावेज, तथ्यात्मक त्रुटि विधि के अतिरिक्त अन्य कोई बिन्दु जो निर्णय लेने हेतु आवश्यक हो, आदि के संबंध में दिनांक 27.11.2017 को कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा ) दतिया में प्रस्तुत कर सकता है।

उक्त के संबंध में नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावे/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।


  
खनि अधिकारी,  
वास्ते कलेक्टर  
जिला दतिया म.प्र.

पृ.क्र./ 1742-6 /2017-18

दतिया,दिनांक 22.11.2017

प्रतिलिपि :-

- 1- एक प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ।
- 2- एक प्रति अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दतिया के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ।
- 3- एक प्रति,खनिज अधिकारी, दतिया के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ।
- 4- एक प्रति नगर परिषद बडौनी के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ।
- ✓ 5- एक प्रति NIC दतिया की वेबसाईड हेतु।
- 6- एक प्रति गार्ड फाइल हेतु।

  
खनि अधिकारी,  
वास्ते कलेक्टर  
जिला दतिया म.प्र.

**कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला दतिया (म.प्र.)**

प्र.क्र./

/2017-18


दतिया,दिनांक 22.11.2017

**// सूचना पत्र //**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अंकुर पोरवाल पुत्र श्री राजेश पोरवाल निवासी गुमटी मुहाल जिला औरैया उ.प्र. द्वारा ग्राम बडौनीखुर्द तहसील बडौनी जिला दतिया के सर्वे नं. 1275 रकवा 2.00 है०, क्षेत्र में से 1.10 है० पर 10 वर्ष की अवधि के लिये म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के तहत पत्थर उत्खनिपट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना चाहें, जैसे अपूर्ण दस्तावेज, तथ्यात्मक त्रुटि विधि के अतिरिक्त अन्य कोई बिन्दु जो निर्णय लेने हेतु आवश्यक हो, आदि के संबंध में दिनांक 27.11.2017 को कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा ) दतिया में प्रस्तुत कर सकता है।

उक्त के संबंध में नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावे/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।


  
खनि अधिकारी,  
वास्ते कलेक्टर  
जिला दतिया म.प्र.

पृ.क्र./ 1741-6 /2017-18

दतिया,दिनांक 22.11.2017

प्रतिलिपि :-

- 1- एक प्रति कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ ।
- 2- एक प्रति अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दतिया के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ ।
- 3- एक प्रति खनिज अधिकारी, दतिया के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ ।
- 4- एक प्रति नगर परिषद बडौनी के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशनार्थ ।
- 5- एक प्रति NIC दतिया की वेबसाईड हेतु ।
- 6- एक प्रति गार्ड फाइल हेतु ।

  
खनि अधिकारी,  
वास्ते कलेक्टर  
जिला दतिया म.प्र.